सत्यमेव जयते

राजभवन
राज्यपाल / कुलाध्यक्ष सचिवालय उत्तराखण्ड,
संख्या– / जी0एस0(शिक्षा) / C8-21(1) / 2021,
देहरादून : दिनांक : 17 मई, 2024

परिपत्र

उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 109/XXIV-C-3/2024-13(11)2018, दिनांक 31 जनवरी, 2024 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023, दिनांक 31 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो चुका है। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित समस्त निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, दिनांक 31 जनवरी, 2024 से निरसित हो गये हैं।

राज्य में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 लागू होने के पश्चात कतिपय निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कुलपति की नियुक्ति की कार्रवाई किया जाना संज्ञानित हुआ है, जो कि उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। अतः समस्त निजी विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालयों की गतिविधियों का संचालन उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार ही करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति न हो।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त निजी विश्वविद्यालय अपने–अपने परिनियम यथाशीघ्र राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या–12464(1) / जी0एस0(शिक्षा) / C8-21(1) / 2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
17/5/2024
(जी0डी0 नौटियाल)
उप सचिव श्री राज्यपाल।